नियम 41 : कारबार के विक्रय, विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण पर प्रत्यय का अंतरण

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी कारण से कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण या परिवर्तन की दशा में, इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जीएसटीआर आईटीसी–02** में, अंतरिती के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े हुए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण के लिए अनुरोध के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टे या अंतरण के ब्यौरे देगा :

परन्तु निर्विलयन की दशा में इनपुट कर प्रत्यय को निर्विलयन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नई इकाइयों की आस्तियों के मूल्य के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा।

[1][**स्पष्टीकरण**–इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ''आस्ति का मूल्य'' से कारबार की संपूर्ण आस्तियों का मूल्य अभिप्रेत है, चाहे उन पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है या नहीं।]

(2) अंतरक किसी भी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण दायित्वों के अंतरण संबंधी विनिर्दिष्ट उपबंध के अनुसार किया गया है, जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(3) अंतरिती, सामान्य पोर्टल पर, अंतरक द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, **प्ररूप जीएसटीआर आईटीसी–02** में, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित प्रत्यय उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।

(4) इस प्रकार अंतरित इनपुट और पूंजी माल को, अंतरिती द्वारा उसकी लेखा पुस्तक में सम्यक् रूप से हिसाब में लिया जाएगा।

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 16/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 29.03.2019)।